सीकर में ई-मित्र चलाने वाले युवक के खाते में 1.04 करोड़ रुपए आए

इस अकाउंट के खिलाफ महाराष्ट्र सहित 13 राज्यों में 36 शिकायत दर्ज हैं

- पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत युवक पर मुकदमा दर्ज किया है
- युवक के दोस्त ने 3 प्रतिशत कमीशन का लालच देकर अकाउंट किराए पर लिया था

सीकर, (निसं)। सीकर के नवलगढ़ रोड पर ई-मित्र की दुकान चलाने वाले युवक के बैंक अकाउंट में 1.04 करोड़ रुपए आए। इस अकाउंट के खिलाफ महाराष्ट्र सहित 13 राज्यों में 36 शिकायत दर्ज हैं। पुलिस ने अब ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत युवक पर मुकदमा दर्ज किया है। आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है।

एसएचओ राजेश कुमार बुडानिया ने बताया कि ई-मित्र संचालक ताराचंद सिहाग पुत्र फूलचंद निवासी केरपुरा खंडेला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सायबर पोर्टल से मिले इनपुट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बैंक अकाउंट में फ्रॉड के 1 करोड़ 4 लाख 68 हजार रुपए आए हैं।

अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी का एक दोस्त सतीश खंडेला इलाके का रहने वाला है। उसने 3 प्रतिशत कमीशन का लालच देकर अकाउंट किराए पर लिया था। इसके बाद बैंक अकाउंट में फ्रॉड की राशि आई। फिलहाल युवक का दोस्त फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

इन राज्यों में दर्ज हैं केस :- आरोपी के अकाउंट के खिलाफ महाराष्ट्र में 12, गुजरात में 4, राजस्थान में 3, पश्चिम बंगाल में 3, कर्नाटक में 3, उत्तर प्रदेश में 1, केरल में 1, दिल्ली में 1, झारखंड में 1, तमिलनाडु में 1 और उड़ीसा में 1 शिकायत सहित कुल 36 कंप्लेंट दर्ज है। एसएचओ राजेश कुमार बुडानिया ने बताया कि किसी के बैंक अकाउंट में फ्रॉड का केवल 1 रुपया भी आया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। आगे कार्रवाई की जाएगी।

लावारिस कार से 17 लाख का डोडा-चूरा बरामद

पुलिस को देख आरोपी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए

भीलवाड़ा, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डीएसटी टीम और काछोला थाना पुलिस ने शनिवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक हुंडई क्रेटा कार से भारी मात्रा में अवैध डोडा-चूरा जब्त किया है। बरामद मादक पदार्थ का वजन 113.060 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 17 लाख रुपये आंकी गई है।

जानकारी के अनुसार, 24 अप्रैल को डीएसटी के एएसआई अशोक कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि राजगढ़ के जंगल में एक संदिग्ध कार खड़ी है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ हो सकता है। सूचना पर अति. पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य शाहपुरा के निर्देशन एवं सीओ सुरेश कुमार डाबरिया कोटड़ी के सुपरविजन में काछोला पुलिस और डीएसटी की टीम मौके पर पहुँची। राजगढ़ के जंगल में घेराबंदी के दौरान एक क्रेटा कार लावारिस हालत में मिली। पुलिस को देख आरोपी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली, तो उसमें 6 प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुए। कट्टों को खोलने पर उनमें डोडा-चूरा मिला। पुलिस ने मादक पदार्थ और तस्करी में प्रयुक्त कार को जब्त कर लिया है। काछोला थाने में मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

हिंडौन सिटी : पति-पत्नी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की

कथित रूप से भूमाफिया व फर्जीवाड़े के आरोपों से परेशान थे पति-पत्नी

- घटना से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा गया है, जिसमें कई लोगों के नाम का उल्लेख कर मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं

हिंडौन सिटी / श्री महावीर जी, (निसं)। तहसील श्री महावीर जी क्षेत्र के ग्राम गांवड़ी मीणा में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक दंपती ने कथित रूप से भूमाफियाओं और फर्जीवाड़े से परेशान होकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांवड़ी मीणा निवासी एक दंपती ने स्थानीय निवासी जमनी लाल जाटव सहित अन्य लोगों पर जमीन हड़पने और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवादियों का कहना है कि आरोपियों ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर और तहसील के कर्मचारियों व डीड राइटर से मिलीभगत कर उनकी जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा ली। परिवादियों ने यह भी आरोप लगाया है कि जमनी लाल जाटव द्वारा लोगों से बड़ी रकम लेकर रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाता था। साथ ही उनके खिलाफ फर्जी तरीके से रेलवे में भर्ती होने की शिकायत भी संबंधित विभाग में की गई थी। इस शिकायत के बाद आरोप है कि दंपत्ति को लगातार धमकाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि परेशान होकर पति-पत्नी ने यह कदम उठाया। दंपती के तीन छोटे बच्चे भी हैं। घटना से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा गया है, जिसमें कई लोगों के नाम का उल्लेख कर मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना श्री महावीर जी की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है तथा पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।

मासूम से कुकर्म के मुख्य आरोपी को 20 साल का कारावास

दूसरे आरोपी को तीन साल जेल और अर्थदंड की सज़ा सुनाई

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर जिले में 13 वर्षीय नाबालिग बालक के साथ कुकर्म करने और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 2 के न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने फैसला सुनते हुए मुख्य आरोपी राहुल को 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, दूसरे आरोपी प्रदीप को आईटी एक्ट के तहत 3 साल की सज़ा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सज़ा सुनाई है।

लोक अभियोजक एडवोकेट चंद्र किशोर भारद्वाज ने बताया कि यह घटना 27 जुलाई 2025 को भरतपुर के नदबई थाना क्षेत्र में हुई थी। पीड़ित बालक के पिता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, जब उनका 13 वर्षीय बेटा घर पर अकेला था, तब आरोपी राहुल, प्रदीप और नितिन उसे बहला-फुसलाकर एक सुनसान मकान में ले गए। वहां मुख्य आरोपी ने बालक के साथ कुकर्म किया और इस घिनौनी करतूत का वीडियो भी बना लिया। आरोपियों ने बालक को धमकी दी थी कि यदि उसने किसी को बताया तो वे वीडियो वायरल कर देंगे और उसे जान से मार देंगे। शारीरिक कष्ट होने पर जब बालक ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, तब थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहुल और प्रदीप को गिरफ्तार किया। हालांकि, जांच के दौरान नितिन को निर्दोष पाया गया और उसका नाम मामले से हटा दिया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 34 महत्वपूर्ण दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए गए। न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया। आरोपी राहुल को कुकर्म का दोषी मानते हुए 20 साल की सज़ा और जुर्माना लगाया है। और आरोपी प्रदीप को आईटी एक्ट में संलिप्तता के लिए तीन साल की सज़ा और अर्थदंड की सज़ा सुनाई है।

भीलवाड़ा : तस्कर की 50 लाख की सम्पत्ति फ्रीज

भीलवाड़ा, (निसं)। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ भीलवाड़ा पुलिस अब आर्थिक प्रहार के मोड में आ गई है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशों पर पुलिस ने नशे की काली कमाई से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज (जब्त) करने का अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में गुलाबपुरा पुलिस ने कुख्यात तस्कर लाभचंद उर्फ लाभू की करीब 50 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज करने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।

वृत्ताधिकारी जितेंद्र सिंह के सुपरविजन एवं गुलाबपुरा थानाधिकारी संजय गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस ने अपराधी लाभचंद उर्फ लाभू पुत्र कन्हैया लाल धाकड़ निवासी उमर, थाना बेंगू, चित्तौड़गढ़ की वित्तीय जांच की।

जांच में सामने आया कि आरोपी ने तस्करी के जरिए करोड़ों रुपये का कारोबार किया और उस काली कमाई से अपने पैतृक गांव उमर में जमीन खरीदी और एक ट्रैक्टर लिया। इन संपत्तियों का बाजार मूल्य करीब 50 लाख रुपये है। अभियुक्त लाभचंद एक शातिर नशा तस्कर है, जिसके खिलाफ बड़ी खेप की तस्करी के गंभीर मामले दर्ज हैं पुलिस ने आरोपी की संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की है। इस संबंध में तमाम दस्तावेज नई दिल्ली स्थित संबंधित प्राधिकारी को भेज दिए गए हैं। अपराधी को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब वह इस संपत्ति को न तो बेच पाएगा और न ही कहीं ट्रांसफर कर सकेगा।

खाली प्लॉट में आग लगी

अजमेर, (निसं)। शहर के रामगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंद्रवरदाई नगर स्थित सियाराम कॉलोनी में एक खाली प्लॉट में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासी सरोज कंवर ने बताया कि लोगों के अनुसार, प्लॉट में लंबे समय से सूखी झाड़ियां और कचरा जमा था। इसी कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। आग लगने के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान है कि सूखी घास और गर्म मौसम इसकी वजह हो सकते हैं। घटना के समय आसपास के क्षेत्रवासियों ने तत्परता दिखाते हुए अपने स्तर पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। यदि समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता, तो आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंच सकता था।

जोधपुर में पांच जगह से बाइक चोरी

जोधपुर, (कासं)। कमिश्नरेट में नकबजनी और वाहन चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर में रोजाना आधा दर्जन मामलें वाहन चोरी के दर्ज हो रहे हैं, मगर वाहन चोर पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहे। पिछले 24 घंटे में वाहन चोरी के पांच मामले पुलिस में दर्ज हुए हैं।

सदर बाजार पुलिस ने बताया कि शांतिपुरा हाथीराम को ओडा निवासी राकेश पुत्र सत्यनारायण सोनी की तरफ से केस दर्ज कराया गया। इसमें बताया कि वह अपनी बाइक लेकर कबूतरों का चौक गायत्री मंदिर के पास किसी काम से आया था, जहां से अज्ञात शख्स उसकी बाइक को चुरा ले गया।

इसी तरह एयरपोर्ट थाना पुलिस के अनुसार रूपनगर डिगाड़ीकलां निवासी आकाश पुत्र चैनाराम अपनी बाइक लेकर शिकारगढ़ स्थित कन्हैयानगर में आया था, जहां से कोई उसकी बाइक चुरा ले गया। इधर श्रीराम नगर चौहाबो निवासी महेश पुत्र भीमसेन आसवानी ने पुलिस को बताया कि उसकी बाइक सुबह के समय घर के सामने से चोरी हो गई। सीएचबी थाने में इसकी रिपोर्ट दी। जबकि नई रकासनी सूरसागर निवासी राकेश पुत्र संपतराज दाधिच बाइक लेकर आईटीआई चौराहा के पास में आया था। यहां एक शोरूम के निकट से उसकी बाइक चोरी हो गई। घटना को लेकर शास्त्रीनगर पुलिस में रिपोर्ट दी। वहीं कापरड़ा के हरियाडा निवासी हुकमाराम पुत्र देवाराम जाट ने भगत की कोठी पुलिस को बताया कि वह बाइक लेकर मधुबन स्थित सरस्वती नगर शॉपिंग सेंटर की तरफ आया। जहां से उसकी बाइक कोई चुरा ले गया।

डूंगरपुर में लग्जरी कार से पांच लाख की अवैध शराब जब्त

कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया, जो शराब को गुजरात ले जाने की फिराक में था

डूंगरपुर, (निसं)। जिले में बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर के पास एक लग्जरी कार से करीब 5 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जो शराब को गुजरात ले जाने की फिराक में था।

बिछीवाड़ा थानाधिकारी ने बताया कि शुक्रवार रात गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक लग्जरी कार में अवैध शराब भरकर गुजरात ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत राजस्थान-गुजरात सीमा पर रतनपुर बॉर्डर के पास नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी के दौरान एक किया सेल्टोस कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन ड्राइवर ने पुलिस को चकमा देकर कार भगाने की कोशिश की। इस पर पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए पीछा किया और कुछ दूरी पर कार को रुकवा लिया। कार रुकवाने के बाद ड्राइवर से पूछताछ की गई, जिसमें वह घबरा गया। शक के आधार पर पुलिस ने कार की तलाशी लीए तो उसमें राजस्थान निर्मित विभिन्न ब्रांड की 60 कार्टन शराब भरी मिली। इसकी बाजार कीमत करीब 5 लाख रुपये आंकी गई है। जांच के दौरान ड्राइवर शराब परिवहन से जुड़े कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। इसके बाद पुलिस ने शराब से भरी कार को जब्त कर लिया। पुलिस ने अहमदाबाद (गुजरात) निवासी राजेश कुमार उर्फ राजू को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी शराब को गुजरात ले जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है।

कपासन के राजेश्वर तालाब में डूबने से जीजा-साले की मौत

- बारात में जाने से पहले नहाने गए थे, किनारे बैठी महिला ने डूबता देख शोर मचाया

कपासन, (निसं)। राजेश्वर तालाब कपासन में नहाने गए जीजा और साले की पानी में डूबने से मौत हो गई। मौके पर मौजूद साले की पत्नी ने दोनों को डूबता देख शोर मचाया, जिससे मौके पर भीड़ जमा हो गई। सिविल डिफेंस की टीम ने दोनों मृतक को तालाब से निकाला।

जानकारी के अनुसार कपासन राजेश्वर तालाब में लगभग 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच दो युवक डूबने की सूचना प्रशासन को मिलने पर एसडीएम राजेश सुवालका, तहसीलदार नासिर बैग मिर्जा, डीएसपी हरजी यादव, पुलिस जाब्ता टीम के साथ घटनास्थल मौके पर पहुंचे और सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया और स्थानीय लोगों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरु किया गया। डूबने वाले युवकों की पहचान कपासन के मियाचंद खेड़ा निवासी राकेश (24) और उसके जीजा भदेसर के भेरूखेड़ा निवासी प्रकाश (21) के रूप में हुई है।

प्रकाश की पत्नी सीता ने बताया कि वह अपने पति के साथ भाई राकेश के यहां एक चचेरे भाई की शादी समारोह में शामिल होने आई थी। शनिवार को बारात 20 किलोमीटर दूर पावली गांव राशमी, चित्तौड़गढ़ जाने वाली थी। इससे पहले गर्मी ज्यादा होने की वजह से राकेश (साला) और प्रकाश (जीजा) ने तालाब पर नहाने का प्लान बनाया। शाम चार बजे राकेश, प्रकाश और सीता राजेश्वर तालाब पहुंचे, जहां दोनों युवक नहाने के लिए नीचे उतर गए। इस दौरान सीता किनारे पर ही बैठी थी। नहाते समय दोनों गहने पानी में चले गए। दोनों को डूबता देखकर सीता ने शोर मचाया। इस पर आसपास भीड़ जमा हो गई। शाम को सिविल डिफेंस की टीम राजेश्वर तालाब पहुंची। 15 मिनट के बाद राकेश के शव को बाहर निकाल लिया। इसके बाद शाम प्रकाश का शव भी बाहर निकाल लिया। दोनों शवों को उपजिला चिकित्सा कपासन पहुंचाया गया। जहां मोर्चरी में रखा गया। जिनका पोस्टमार्टम रविवार को किया जाएगा। मौके पर मौजूद प्रकाश की कॉलोनी के लोगों ने बताया किराकेश ट्रैक्टर चलाने का काम करता है। चार साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसका बेटा है, जबकि प्रकाश और सीता की एक महीने पहले शादी हुई थी। प्रकाश कॉलेज में पढ़ाई करता है।

युवक के सिर में फंसी दस किलो वजनी दूध की कैन

अलवर, (निसं)। अलवर में गर्मी से बचने के प्रयास में एक युवक की जान पर बन आई। धूप से बचने के लिए उसने दूध की खाली कैन सिर पर रख ली थी। करीब दो घंटे तक वो कैन को निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन कैन और ज्यादा फंस गई। इसके बाद ग्राइंडर मशीन से काटकर को कैन को सिर से अलग किया गया। घटना शहर से 20 किलोमीटर दूर अकबरपुर थाना क्षेत्र के माधोगढ़ की है। शुक्रवार शाम को हुए इस हादसे का वीडियो शनिवार को सामने आया है।

माधोगढ़ के सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम ने बताया कि गांव का रहने वाला युवक कालूराम रैबारी बटाई के गेहूं बांटने जा रहा था। उसके हाथ में 15 लीटर दूध वाला बड़ा कैन था। धूप से बचने के लिए कालूराम ने उसे सिर पर रख लिया। करीब 10 किलो वजनी कैन उसके सिर में फंस गया।

टोंक में फर्जी दस्तावजों से जमीन हड़पने की साजिश, मुख्य आरोपी को पकड़ा

- प्रवासी भारतीय परिवार की बेशकीमती कृषि भूमि को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने की साजिश का खुलासा हुआ

टोंक, (निसं)। देवली क्षेत्र में प्रवासी भारतीय परिवार की बेशकीमती कृषि भूमि को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने की साजिश का खुलासा हुआ है। मामले में देवली पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मामला देवली तहसील के खेड़ागांवड़ी गांव स्थित कृषि भूमि से जुड़ा हुआ है। इसमें जमीन मूल खातेदारों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जो लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं। खाली पड़ी इस जमीन को भूमाफिया गिरोह ने निशाना बनाकर अवैध तरीके से कब्जा करने की योजना बनाई। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले जमीन पर अवैध कब्जा किया और फिर मालिकाना हक हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराए। कथित तौर पर जगदीश प्रसाद शर्मा के नाम से फर्जी इकरारनामा बनाया गया। इसके बाद असली व्यक्ति की जगह देवलाल मीणा को खड़ा कर फर्जी पहचान के जरिए दस्तावेजों को वैध दिखाने की कोशिश की गई। इस संगठित साजिश के तहत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई और राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण भी करवा लिया गया था। इस तरह पूरा सिस्टम प्रभावित कर जमीन पर अवैध रूप से मालिकाना हक दर्ज कराने की कोशिश की गई।

मामले में देवली पुलिस ने मुख्य आरोपी मनीष चौधरी पुत्र भंवरलाल निवासी गांव कासीर को गिरफ्तार किया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मनीष चौधरी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उस पर पहले भी एससी/एसटी एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। इस जमीन धोखाधड़ी मामले में पुलिस पहले ही दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनकी भूमिका भी इस फर्जीवाड़े में सामने आई थी।

घर पर युवक का शव फंदे पर लटका मिला

डूंगरपुर, (निसं)। कोतवाली थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव में शनिवार सुबह एक युवक का शव उसके घर में फंदे पर लटका मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की पत्नी ने पति की मौत पर जांच की मांग की है। कोतवाली पुलिस सूत्रों के अनुसार वीरपुर निवासी बबली माल ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार उसके पति दिनेश माल को शराब पीने की लत थी। बबली ने बताया कि दिनेश शनिवार सुबह शराब पीकर घर आया और घर में एक लकड़ी के पाट तख्ते और साड़ी से फंदा लगा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चों ने शव को फंदे पर लटका देखा और आवाज लगाई, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव कोडूंगरपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

वृद्धा ने अपने दोहिते पर घर में ही चोरी का आरोप लगाया

जोधपुर, (कासं)।कमिश्नरेट में पुलिस गश्त के बावजूद रोजाना चोरी की घटनाएं हो रही है। बनाड़ और राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र में तीन जगहों पर चोरी की घटनाएं हुई। एक में वृद्ध महिला ने अपने दोहिते पर घर में ही चोरी का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अब जांच आरंभ की है। राजीव गांधी नगर पुलिस ने बताया कि बोम्बे क्वार्टर योजना वस्त्र मंत्रालय के सामने रहने वाली मथुरा पत्नी गोरूराम की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि वह 12 अप्रैल को अपने पीहर गई थी। बाद में उसकी बेटी ने सूचना दी कि घर में चोरी हो गई है। अज्ञात शख्स लोहे के संदूक का ताला तोड़कर वहां से दो सौ ग्राम चांदी के छड़ा जोड़ी और 3 सौ ग्राम का कंदोरा चोरी कर ले गया। महिला ने वारदात में अपने एक दोहिते पर चोरी की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दी है।

कोटा में हनीट्रैप के जरिये ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

पुलिस ने दो महिलाओं सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया

कोटा, (निसं)। हनीट्रैप के जरिये ब्लैकमेल कर रूपये वसूली करने के दर्ज मामले में उद्योग नगर पुलिस टीम ने मामले का पर्दाफाश करते हुए दो महिलाओं सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने मामले में पकड़े गये आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त कार व 49500 नकद राशि बरामद की है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 23 अप्रैल को परिवादी ने उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट दी। परिवादी ने रिपोर्ट में कहा कि 14 अप्रैल को एक अज्ञात महिला ने फोन कर उसे बातों में उलझाया और मिलने के लिये कंसुआ रोड स्थित अपनी एक महिला मित्र के घर बुलाया। परिवादी ने रिपोर्ट में कहा कि दो महिलाओं ने साजिश के तहत उसके कपड़े उतरवा दिये, जिसके बाद पीछे से आये एक युवक ने उसका वीडियो बना लिया। परिवादी ने कहा कि आरोपियों ने वीडियो वायरल करने और दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर नकद व ऑनलाइन के माध्यम से 90 हजार वसूल लिये एवं आरोपियों द्वारा और रूपये देने की मांग की जा रही है। शहर एसपी ने बताया कि परिवादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। मामले का खुलासा करने के लिये पुलिस उप अधीक्षक रूद्रप्रकाश शर्मा के सुपरविजन में उद्योग नगर थानाधिकारी मांगेलाल यादव के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने मामले में अनुसंधान किया। टीम ने मुखबीर की सूचना पर एनएच-27 के नीचे डाढ़ देवी रोड़ पर नाकाबंदी की एवं एक कार को घेरा देकर रोका तो कार में सवार लोगों ने भागने का प्रयास किया।

शहर एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर मुस्तैदी दिखाते हुए गिरोह के सभी सदस्यो को धर दबोचा। पुलिस टीम ने बारां हाल कोटा निवासी कोमल शर्मा, बारां हाल महावीर नगर निवासी कृष्णा मीणा सहित कंसुआ निवासी नरेन्द्र सिंह सोलंकी उर्फ तंवर, कंसुआ निवासी शाहरूख, बापू नगर कुन्हाड़ी निवासी योगेन्द्र प्रताप सिंह राणावत, कंसुआ निवासी मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने पकड़े गये आरोपियों के पास से एक कार को जप्त किया है साथ ही आरोपियों के पास से 49500 रूपये नकद बरामद किये हैं। शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि गिरोह के सदस्य सुनियोजित तरीके से लोगों को प्रेम जाल में फंसाकर अशलील वीडियो बनाकर मोटी रकम वसूलता था, पकड़े गये आरोपियों के पास से छह मोबाइल जब्त किये हैं, उन मोबाइलों में कई लोगों के अश्लील विडियो मिले हैं। पकड़े गये आरोपियों से पूछताछ व अनुसंधान जारी है।

35 साल पुरानी रंजिश में की थी वृद्ध की हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर ग्रामीण के नाथडाउ गांव में तीन दिन पहले वृद्ध व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह 35 साल पुरानी रंजिश होना बताया गया है। अभियुक्त से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या ने बताया कि चामू के ग्राम नाथड़ाउ में 22 अप्रैल को दिनदहाड़े वृद्ध की हत्या की घटना हुई थी। मामला सुल्तानसिंह की तरफ से दर्ज कराया गया था। इसमें बताया कि 22 अप्रैल की शाम को मग सिंह राजपुरोहित निवासी नाथड़ाउ अपने सगे भतीजे सुल्तान सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कनोडिया पुरोहितान से अपने घर नाथडाउ जा रहे तब रास्ते में खेतसिंह पुत्र चैनसिंह निवासी कनोडिया पुरोहितान व अन्य द्वारा अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बोलेरो गाड़ी से टक्कर मारकर सुल्तान सिंह व उसके चाचा मग सिंह को नीचे गिराकर तलवार से ताबड़तोड़ वार कर मगसिंह की हत्या कर दी थी।

मामले में खुलासे के लिए एएसपी भोपालसिंह लखावत के सुपरविजन एवं बालेसर वृताधिकारी राजेन्द्रसिह के निर्देशन में थानाधिकारी हनुमानराम एवं डीएसटी प्रभारी श्रवणकुमार के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों का गठन कर एफएसएल व एमओबी टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए थे। पुलिस की टीम ने अब मुख्य आरोपी नाथडाउ निवासी खेतसिंह पुत्र चैनसिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार किया है। उसने 35 साल पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए यह हमला किया था। अन्य आरोपियों के संबंध में अभियुक्त से पूछताछ जारी है।